सीमा शुल्क आयुक्त, कलकत्ता

बनाम

जी. सी. जैन और अन्य

(2003 की सिविल अपील संख्या **6334-35)**

4 जुलाई, **2011**

(डॉ मुकुंदकम शर्मा और अनिल आर दवे, न्यायाधिपतिगण।

सीमा शुल्क अधिनियम, **1962**

वर्गीकरण- चिपकने वाला- ब्यूटाइल एक्रिलेट मोनोमर (बाम) के आयात पर शुल्क की मांग- परिसीमा की विस्तारित अवधि का आह्वान- उत्तरदाताओं ने बाम की खेप का आयात किया और उन्हें शुल्क के भुगतान के बिना उन्नत लाइसेंस के खिलाफ चिपकने वाले के रूप में मंजूरी दे दी- आयुक्त ने अभिनिर्धारित किया कि बाम चिपकने वाला नहीं था और अग्रिम लाइसेंस का लाभ उत्तरदाताओं के लिए उपलब्ध नहीं था और तदनुसार इस आधार पर सीमा की विस्तारित और लंबी अवधि को लागू करके शुल्क की मांग की पुष्टि की कि उत्तरदाताओं ने प्रश्नगत उत्पाद को गलत तरीके से घोषित किया था- उत्तरदाताओं ने ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील दायर की थी जिसे अनुमति दी गई थी- क्या बाम, जिसने पॉलीमराइजेशन पर चिपकने वाला गुण प्राप्त किया था, को डीईईसी योजना के तहत जारी अग्रिम

लाइसेंस के खिलाफ शुल्क मुक्त मंजूरी की अनुमति देने के उद्देश्य से चिपकने वाला कहा जा सकता है- अभिनिर्धारितः ''चिपकने वाला शब्द का उल्लेख एक्स-बॉन्ड बी/ई में किया गया था क्योंकि अपीलकर्ता ने अग्रिम लाइसेंस के तहत वस्तुओं को जारी करने की मांग की थी, जो चिपकने वाले को शुल्क मुक्त आयात के रूप में अनुमति देते थे- सामान को सीमा शुल्क हाउस में रासायनिक रूप से परीक्षण किया गया था और उचित अधिकारी की संतुष्टि के बाद मंजूरी दी गई थी कि बाम एक चिपकने वाला है। सीमा शुल्क अधिकारियों के समक्ष किसी भी तथ्य को दबाने का कोई सवाल नहीं था क्योंकि कोई तथ्य छिपाया नहीं गया था- इसके अलावा, निर्माता द्वारा दिए गए तकनीकी साहित्य में, उत्पाद के उपयोग को चिपकने वाले रूप में दिखाया गया है- बाम, एक एक्रिलेट एस्टर, को ''जलीय इमल्शन फैलाव'' तैयार करने के लिए पानी का उपयोग करके पॉलीमराइज्ड किया जा सकता है, जिसका उपयोग ''चमड़ा उद्योग'' में ''कोटिंग या बाइंडर'' के रूप में किया जाता है। कोई कारण नहीं कि बाम जिसका जलीय फैलाव पर ''चमड़ा उद्योग'' में बाइंडर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, को चिपकने वाला पदार्थ मानने के लाभ से वंचित किया जाना चाहिए- जब प्रस्तुत लाइसेंस उत्तरदाताओं को शुल्क से मुक्त पूर्व-बांड माल को मंजूरी देने के हकदार थे, तो उनके लिए शुल्क मुक्त सामान के मूल्यों को गलत घोषित करने का कोई कारण नहीं था- ऐसा

कोई आरोप नहीं है कि प्रस्तुत लाइसेंस घोषित मूल्यों को कथित लोडिंग के बाद भी मूल्यों की मात्रा को कवर नहीं करेंगे- इसलिए, ट्रिब्यूनल के फैसले को बरकरार रखा- कि मांग परिसीमा बाधित होकर प्रभावित है क्योंकि अपीलकर्ता ने प्रविष्टियों के बिलों में माल की घोषणा करने और उसी का सही वर्गीकरण देने के बाद संबंधित माल को मंजूरी दे दी थी- अधिसूचना का लाभ प्राप्त करना, जिसे राजस्व ने बाद में एक राय बनाई थी जो उपलब्ध नहीं थी, गलत घोषणा या गलत कथन, आदि का आरोप नहीं लगा सकती थी और यहां तक कि अगर किसी आयातक ने छूट के अपने लाभ का गलत दावा किया है, तो यह विभाग पर निर्भर करता है कि वह सही कानूनी स्थिति का पता लगाए और उसे अनुमति दे या अस्वीकार करे- मौजूदा मामले में अपीलकर्ता ने माल को सही वर्गीकरण के साथ ब्यूटाइल एक्रिलेट मोनोमर के रूप में घोषित किया था और अपीलकर्ता ने यह समझते हुए कि बाम एक चिपकने वाला है, जिसे एक्स-बॉन्ड बिल में शब्द ''चिपकने वाला'' को जोड़ा गया था- इन परिस्थितियों में यह जांचना राजस्व का काम था कि बाम चिपकने वाली अभिव्यक्ति द्वारा कवर किया गया था या नहीं और यदि नमूने लेने के बाद भी उन्होंने उसे चिपकने वाले के रूप में प्रभावी होने की अनुमति दी, तो अपीलकर्ता को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है और बाद में, यदि राजस्व ने बाम के चिपकने वाले चरित्र के संबंध में अपनी राय बदल दी है, तो उनके खिलाफ

विस्तारित अवधि लागू नहीं की जा सकती है- इस प्रकार खेप के संबंध में शुल्क की मांग भी परिसीमा से वर्जित है।

शब्द और वाक्यांश- की व्याख्या- अभिनिर्धारितः शब्द और अभिव्यक्तियां, जब तक कि क़ानून में परिभाषित नहीं किया जाता है, को उस अर्थ में माना जाना चाहिए जिसमें उनके साथ व्यवहार करने वाले व्यक्ति समझते हैं अर्थात व्यापार, समझ और उपयोग के अनुसार।

उत्तरदाताओं ने ब्यूटाइल एक्रिलेट मोनोमर (बाम) की खेप आयात की और उन्हें शुल्क के भुगतान के बिना उन्नत लाइसेंस के खिलाफ चिपकने वाले के रूप में मंजूरी दे दी। अपीलकर्ता-राजस्व ने प्रतिवादियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें शुल्क की मांग की पुष्टि का प्रस्ताव था, साथ ही आयातित उत्पाद को जब्त करने और व्यक्तिगत दंड लगाने का आरोप लगाते हुए आरोप लगाया गया था कि उत्तरदाताओं द्वारा आयातित उत्पाद जैविक रसायन परिभाषित था और चिपकने वाला नहीं था तथा प्रतिवादियों द्वारा छूट का गलत दावा किया गया था।

न्यायिक कार्यवाही के दौरान उत्तरदाताओं ने एक विशिष्ट रुख अपनाया कि प्रश्नगत बाम एक तरल पदार्थ है जो प्रकाश और गर्मी के संपर्क में आने पर बहुलकीकरण पर चिपकने वाला हो जाता है; सहज बहुलकीकरण को रोकने के लिए, बाम को आमतौर पर कुछ अवरोधक द्वारा स्थिर किया जाता है और चूंकि बाम प्रसंस्करण की अधिक आवश्यकता के

बिना आसानी से पॉलीमराइज्ड होता है और पॉलीमराइजेशन के बाद चिपकने वाला भी दिखाई देता है। गुणों के अनुसार इसे केवल चिपकने वाला माना जाना चाहिए। उन्होंने निर्माता के मुद्रित साहित्य पर भी भरोसा किया और तर्क दिया कि यह स्पष्ट है कि बाम का उपयोग चिपकने वाले के रूप में किया जाता है। प्रतिवादियों ने यह कहते हुए परिसीमा वर्जन के बिंदु पर अपना पक्ष रखा कि उन्होंने प्रवेश के बिल में सामान को सही ढंग से घोषित किया था और सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा नमूने लेने और खुद को संतुष्ट करने के बाद मंजूरी दी थी कि वह एक चिपकने वाला उत्पाद था और अग्रिम लाइसेंस द्वारा पूरी तरह से कवर किया गया था। इस प्रकार, उन्होंने प्रस्तुत किया कि उनके खिलाफ लम्बी अवधि की मियाद लागू नहीं की जा सकती क्योंकि उत्तरदाताओं की ओर से कोई गलत घोषणा नहीं की गई थी। हालांकि, आयुक्त ने माना कि बाम चिपकने वाला नहीं था और अग्रिम लाइसेंस का लाभ उत्तरदाताओं के लिए उपलब्ध नहीं था और तदनुसार इस आधार पर परिसीमा की विस्तारित और लंबी अवधि को लागू करके शुल्क की मांग की पुष्टि की कि उत्तरदाताओं ने उत्पाद को गलत घोषित किया था। इससे व्यथित होकर प्रतिवादियों ने अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर की जिसे मंजूर कर लिया गया। मौजूदा अपीलों में, विचारणीय प्रश्न था कि क्या बाम को डीईईसी योजना के

तहत जारी अग्रिम लाइसेंस के खिलाफ शुल्क मुक्त मंजूरी की अनुमति देने के उद्देश्य से चिपकने वाला कहा जा सकता है।

न्यायालय ने अपील खारिज करते हुए -

अभिनिर्धारितः 1. पैक्ड हालत में सामान किसी काम का नहीं है। इसका उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब इसे खोला जाता है और उपयोग में लाया जाता है। मौजूदा मामले के कारण बताओ में यह स्वीकार किया गया है कि चमड़ा उद्योग में बाम का अंतिम उपयोग चिपकने वाला है। हालांकि, वर्तमान मामले में एक अंतर करने की मांग की जाती है कि जब तक मोनोमर बहुलक नहीं बन जाता है, तब तक यह चिपकने वाला नहीं होता है। यह आरोप लगाया जाता है कि मोनोमर रूप में, बाम चिपकने वाला नहीं है। इस प्रकार की व्याख्या कर, अपीलकर्ता द्वारा बाम को चिपकने वाले के कवरेज से अलग करने का प्रयास किया गया है। हालांकि, यह अच्छी तरह से तय है कि शब्दों और अभिव्यक्तियों को, जब तक कि क़ानून में परिभाषित नहीं किया जाता है, उस अर्थ में माना जाना चाहिए जिसमें उनके साथ व्यवहार करने वाले व्यक्ति समझते हैं यानी व्यापार और समझ और उपयोग के अनुसार। एक्स-बॉन्ड बी/ई में ''चिपकने वाला'' शब्द का उल्लेख किया गया था क्योंकि अपीलकर्ता ने अग्रिम लाइसेंस के तहत माल जारी करने की मांग की थी, जो चिपकने वाले को शुल्क मुक्त आयात के रूप में अनुमति देता था। माल को सीमा

शुल्क हाउस में रासायनिक रूप से परीक्षण किया गया था और उचित अधिकारी की संतुष्टि के बाद माल को मंजूरी दे दी गई कि बाम एक चिपकने वाला है। विभाग इस बात को लेकर बहुत सचेत था कि माल को चिपकने वाला होने का दावा किया गया था और वे इस संबंध में किए गए माल की जांच और विचार-विमर्श के बाद बहुत संतुष्ट थे। सीमा शुल्क अधिकारी अच्छी तरह से जानते थे कि बाम चिपकने वाला पदार्थ है, को मंजूरी दे दी। सीमा शुल्क अधिकारियों के समक्ष किसी भी तथ्य को दबाने का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि कोई तथ्य छिपाया नहीं गया। प्रत्येक खेप का परीक्षण किया गया और रासायनिक रूप से जांच की गई। (पैरा 14, 15, 16) (810-सी-एच; 811-ए-बी)

2. इसके अलावा, चिपकने वाले पदार्थ के रूप में बाम की निकासी के लिए अग्रिम लाइसेंस की स्वीकृति पूर्ण है और इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि लाइसेंस सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा डेबिट किए गए हैं। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर पहले से किए गए मूल्यांकन आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। (पैरा 17) (811-ई)

3. यह निर्विवाद है कि आयातित रसायन अपने मोनोमर रूप में है और स्वयं- पोलीमराइजेशन पर चिपकने वाला बन जाता है। दोनों पक्षों का मामला यह है कि प्रकृति के संपर्क में आने पर मोनोमर रूप चिपकने वाले पदार्थ के रूप में उपयोग करने के लिए उपयुक्त रसायन का बहुलक रूप बन

जाता है। जैसा कि राजस्व द्वारा रिकॉर्ड पर लाए गए विशेषज्ञों की राय अनुसार यह केवल इतना है कि कुछ मामलों में जहां बल्क में बहुलकीकरण की आवश्यकता होती है, पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त गर्मी यानी प्रकृति द्वारा प्रदान की गई गर्मी से अधिक की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, निर्माता द्वारा दिए गए तकनीकी साहित्य में, उत्पाद का उपयोग चिपकने वाले के रूप में दिखाया गया है। भले ही राजस्व ने इस बात पर विवाद किया है कि उत्तरदाताओं द्वारा प्रस्तुत उक्त साहित्य सही नहीं है और इसमें हेरफेर किया गया है क्योंकि यह भारत में समान उत्पाद के निर्माता से अलग है, हालांकि, राजस्व द्वारा इस आशय का कोई ठोस सबूत नहीं दिया गया है। ट्रिब्यूनल ने एक निष्कर्ष दिया है कि उत्तरदाताओं द्वारा प्रस्तुत साहित्य केरियन निर्माता का है और अंग्रेजी भाषा के साथ-साथ कोरियाई भाषा में दिया गया है और उक्त साहित्य की सत्यता पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। हालांकि, जैसा कि निर्माताओं ने स्वयं ब्यूटाइल एक्रिलेट के उपयोग को चिपकने वाले के साथ-साथ कपड़ा बाइंडर्स के रूप में दिखाया है, एक अलग दृष्टिकोण लेने का कोई कारण नहीं है। (पैरा 18, 19)

4. डीईईसी योजना के तहत चिपकने वाला शब्द परिभाषित नहीं किया गया है। छूट अधिसूचना के तहत, 'सामग्री शब्द को परिभाषित किया गया है जिससे यह स्पष्ट है कि अनुमेय 'सामग्री न केवल कच्चा माल हैं,

बल्कि ऐसे कच्चे माल के लिए मध्यवर्ती भी हैं, जो लाइसेंस में निर्दिष्ट निर्यात उत्पादों के निर्माण के लिए आवश्यक हैं, जो इस मामले में 'चमड़ा उद्योग' उत्पाद हैं। निर्यात उत्पादों के निर्माण के लिए आवश्यक 'सामग्री के रूप में उपयोग किए जाने वाले शब्द में ऐसी संस्थाएं भी शामिल होंगी जो न केवल विनिर्माण प्रक्रियाओं में प्रत्यक्ष रूप से उपयोग या उपयोग करने योग्य हैं, बल्कि जिनका उपयोग समान प्रसंस्करण के साथ भी किया जा सकता है। (पैरा 20) (812-एफ-एच; 813-ए-बी)

5. यह स्पष्ट है और निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि बाम, जो एक एक्रिलेट एस्टर है, को'

'

उपयोग करके पॉलीमराइज्ड किया जा सकता है, जिसका उपयोग 'चमड़ा उद्योग' में 'कोटिंग या बाइंडर' के रूप में किया जाता है। इस इमल्शन की जलीय तैयारी के लिए प्रौद्योगिकी के किसी भी विस्तृत उपयोग की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसा कोई कारण नहीं है कि जलीय फैलाव पर, भले ही बाम को 2916.12 के तहत वर्गीकृत किया गया हो, 'चमड़ा उद्योग' में बाइंडर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है और इसे चिपकने वाले के रूप में मानने के लाभ से वंचित किया जाना चाहिए। (पैरा 21) (813-ई-एफ)

पायनियर एम्ब्रॉयडरीज़ लिमिटेड बनाम सीमा शुल्क आयुक्त, मुंबई 2004 (178) ई.एल.टी. 933 (त्रि.)- अनुपयुक्त अभिनिर्धारित किया गया।

जॉन विले एंड संस द्वारा प्रकाशित इनसाइक्लोपीडिया ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, चौथा संस्करण- संदर्भित

6. जब यह पाया जाता है कि प्रस्तुत लाइसेंस प्रतिवादी को पूर्व-बांड माल को शुल्क से मुक्त करने का अधिकार देते हैं, तो उनके लिए मूल्यों को गलत तरीके से घोषित करने का कोई कारण नहीं है क्योंकि सामान शुल्क मुक्त हैं। ऐसा करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं दिखाई देता है। ऐसा कोई आरोप नहीं है कि घोषित मूल्यों के कथित लोडिंग के बाद भी प्रस्तुत लाइसेंस मूल्यों की मात्रा को कवर नहीं करेंगे। इसलिए, ट्रिब्यूनल के फैसले को कायम रखा जाता है। (पैरा 23) (814-ए-बी)

7. इसके अलावा मांग परिसीमा से वर्जित होकर प्रभावित होती है क्योंकि अपीलकर्ता ने प्रविष्टियों के बिलों में इसकी घोषणा करने और उसी का सही वर्गीकरण देने के बाद संबंधित माल को मंजूरी दे दी थी। एक अधिसूचना का लाभ उठाना, जिसे राजस्व ने बाद में एक राय बनाई थी, उपलब्ध नहीं थी, गलत घोषणा या गलत बयानी आदि का आरोप नहीं लगाया जा सकता है और यहां तक कि अगर किसी आयातक ने छूट के अपने लाभ का गलत दावा किया है, तो यह विभाग पर निर्भर करता है कि वह सही कानूनी स्थिति का पता लगाए और उसे अनुमति दे या अस्वीकार करे। इस मामले में अपीलकर्ता ने सामान सही वर्गीकरण के साथ ब्यूटाइल एक्रिलेट मोनोमर के रूप में घोषित किया था, और अपीलकर्ता की समझ

के अनुसार एक्स-बॉन्ड बिल में 'चिपकने वाला शब्द जोड़ा गया था कि बाम एक चिपकने वाला पदार्थ है। इन परिस्थितियों में राजस्व के लिए यह जांचना आवश्यक था कि क्या बाम को चिपकने वाली अभिव्यक्ति में कवर किया गया था या नहीं और यदि नमूने लेने के बाद भी उन्होंने उसे चिपकने वाले पदार्थ के रूप में प्रभावी होने की अनुमति दी है तो अपीलकर्ता को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है और बाद में, यदि राजस्व ने बाम के चिपकने वाले चरित्र के संबंध में अपनी राय बदल दी है तो उनके खिलाफ विस्तारित अवधि लागू नहीं की जा सकती है। इस प्रकार, खेपों के संबंध में शुल्क की मांग भी परिसीमा से वर्जित है। (पैरा 24) (814-सी-जी)

केस लॉ संदर्भः

2004 (178) ई.एल.टी. 933 (त्रि.) अभिनिर्धारित लागू नहीं किया गया पैरा 22,

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील संख्या 6334-6335/2003।

सीमा शुल्क आयुक्त और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय अधिकरण, कोलकाता की अपील संख्या सीआरवी -75 और 74 सन् 1999 के अंतिम निर्णय व आदेश दिनांकित 17-12-2002 से उत्पन्न।

व सन् 2004 के सी.ए. नंबर 1757 के सहित

अपीलकर्ता की ओर से अरिजीत प्रसाद, एम. खैराती, बी. के. प्रसाद, अनिल कटियार।

उत्तरदाताओं की ओर से एसके बागरिया, वी. शेखर, पीजूष के. रॉय, जी. रामकृष्ण प्रसाद, सुधीर कुमार मेहता, पुनीत जैन, तृष्णा मोहन, प्रतिभा जैन।

डॉ. मुकुंदकम शर्मा, न्यायाधिपति.-

1. ये अपीलें सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण, पूर्वी पीठ, कोलकाता द्वारा 1999 की अपील संख्या सीआरवी-75 और 74 में पारित निर्णय व आदेश दिनांकित 17.02.2002 के विरूद्ध दायर हैं, जिसके तहत न्यायाधिकरण ने प्रतिवादियों की अपील को स्वीकार करते हुए सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा पारित आदेश को इस आधार पर रद्द कर दिया गया कि ब्यूटाइल एक्रिलेट मोनोमर यानी प्रतिवादियों द्वारा आयातित रसायन को सुरक्षित रूप से चिपकने वाला माना जा सकता है और प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत अग्रिम लाइसेंस द्वारा समाविष्ट किया गया था।

2. रिकॉर्ड में मौजूद तथ्यों के अनुसार, मेसर्स सांघवी ओवरसीज ने अप्रैल और दिसंबर, 1997 के बीच ब्यूटाइल एक्रिलेट मोनोमर (जिसे बाद में ''बाम'' के रूप में संदर्भित किया गया) की 14 खेपों का आयात किया और इसे मंजूरी दे दी। सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 203/92 और 79/95

का लाभ उठाकर बिना शुल्क के भुगतान के उन्नत लाइसेंसों के खिलाफ भी ऐसा ही किया जाएगा। दूसरा बाम की खेप को प्रतिवादियों द्वारा दिनांक 06-03-1998 के प्रविष्टि बिल के तहत मंजूरी दी गई थी और उसके बाद एक और खेप का आयात किया गया था। अंतिम दो खेपों को गोदाम में रखा गया था और अधिकारियों द्वारा मंजूरी नहीं दी गई थी।

3. बाम की इन सभी खेपों में, उत्तरदाताओं ने उत्पाद को ब्यूटाइल एक्रिलेट मोनोमर के रूप में घोषित किया और शीर्ष 2916.12 के तहत वर्गीकरण का दावा किया। डीईईसी लाइसेंस के तहत चिपकने वाले पदार्थ के रूप में उत्तरदाताओं द्वारा मूल्यांकन की मांग की गई थी।

4. राजस्व द्वारा उत्तरदाताओं के खिलाफ इस विश्वास पर जांच शुरू की गई थी कि उत्तरदाताओं द्वारा आयातित उत्पाद कार्बनिक रसायन था और चिपकने वाला नहीं था। राजस्व/अपीलकर्ता ने यह रुख अपनाया कि डीईईसी योजना के तहत खेपों की मंजूरी के लिए उत्तरदाताओं द्वारा प्रस्तुत किये गये चिपकने वाले पदार्थों के आयात को कवर करने वाले उन्नत लाइसेंस, सीमा शुल्क अधिसूचना का लाभ उठाते हुए, विचाराधीन माल की निकासी के मामले में लागू नहीं थे क्योंकि उक्त लाइसेंस चिपकने वाले पदार्थों के आयात के लिए थे और आयातित उत्पाद चिपकने वाला नहीं था। तदनुसार, प्रतिवादियों के कार्यालयों में तलाशी ली गई और उनके बयान दर्ज किए गए। सीमा शुल्क समाशोधन एजेंट से भी पूछताछ की गई

और यह पता लगाने का प्रयास किया गया कि क्या संबंधित उत्पाद का उपयोग बॉन्डिंग एजेंट के रूप में किया गया था या नहीं। श्री आर. के. जैन ने ऐसी जांच के दौरान अपने कथनों में बताया कि उत्पाद का उपयोग बॉन्डिंग एजेंट के रूप में किया गया था और पॉलीमराइजेशन पर यह चिपकने वाला बन जाता है।

5. राजस्व ने नमूने भी लिए और इसे परीक्षण के लिए भेजा। राजस्व विभाग ने विभिन्न विशेषज्ञों के साथ-साथ समान वस्तुओं में कारोबार करने वाले व्यक्तियों की राय भी मांगी है। जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री के आधार पर राजस्व ने एक राय बनाई कि बाम चिपकने वाला नहीं था, लेकिन चिपकने वाली संरचनाओं के लिए कच्चे माल में से एक था। इस प्रकार राजस्व की राय थी कि प्रतिवादियों द्वारा छूट का गलत दावा किया गया था। इसके अलावा, राजस्व ने विचाराधीन वस्तुओं के मूल्य पर भी विवाद किया।

6. तदनुसार, उपर्युक्त आधार पर प्रतिवादियों को कारण बताओ नोटिस दिया गया था जिसमें शुल्क की मांग की पुष्टि का प्रस्ताव किया गया था, साथ ही आयातित उत्पाद को जब्त करने और विभिन्न व्यक्तियों पर व्यक्तिगत दंड लगाने का प्रस्ताव था।

7. न्यायिक कार्यवाही के दौरान उत्तरदाताओं ने एक विशिष्ट रुख अपनाया कि विचाराधीन बाम एक तरल है जो प्रकाश और गर्मी के संपर्क

में आने पर चिपकने वाला हो जाता है। उत्तरदाताओं की ओर से यह तर्क दिया गया था कि सहज बहुलकीकरण को रोकने के लिए बाम को सामान्य रूप से कुछ अवरोधकों द्वारा स्थिर किया जाता है और चूंकि बाम प्रसंस्करण की अधिक आवश्यकता के बिना आसानी से पॉलीमराइज्ड होता है और पॉलीमराइजेशन के बाद वही चिपकने वाला गुण दिखाता है, इसलिए इसे केवल चिपकने वाला माना जाना चाहिए। उन्होंने निर्माता के मुद्रित साहित्य पर भी भरोसा किया और तर्क दिया कि यह स्पष्ट है कि बाम का उपयोग चिपकने वाले के रूप में किया जाता है। उत्तरदाताओं ने स्पष्ट किया कि बाम में मोनोमर रूप में कोई चिपकने वाला गुण नहीं होता है, लेकिन यह बहुलक रूप में एक चिपकने वाला होता है, जो प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से तब की जाती है जब मोनोमर रूप गर्मी और प्रकाश के संपर्क में आता है। उत्तरदाताओं ने दलील दी कि बहुलक रूप में आइटम आयात करना संभव और व्यावहारिक नहीं है क्योंकि पोलीमराइजेशन के बाद, उत्पाद तुरंत चिपकने वाला बन जाता है जिसमें ज्यादा शेल्फ-लाइफ नहीं होती है। प्रतिवादियों ने समय-सीमा के बिंदु पर भी अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उन्होंने प्रवेश के बिल में माल की सही घोषणा की थी और नमूने लेने और स्वंय को संतुष्ट करने के बाद सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा मंजूरी दी गई थी कि उत्पाद चिपकने वाला और चोकोर था। उनके अग्रिम लाइसेंस तद्नुसार सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा डेबिट किए गए थे। इस प्रकार

उन्होंने प्रस्तुत किया कि उनके खिलाफ लंबी अवधि की परिसीमा लागू नहीं की जा सकती क्योंकि उत्तरदाताओं की ओर से कोई गलत घोषणा नहीं की गई थी।

8. उक्त कारण बताओ नोटिस आयुक्त द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में परिणत हुआ, जिसके तहत यह कहा गया था कि बाम चिपकने वाला नहीं था और अग्रिम लाइसेंस और संबंधित अधिसूचना का लाभ आयातक के लिए उपलब्ध नहीं था। तदनुसार, शुल्क की मांग की पुष्टि इस आधार पर प्रविष्टियों के 14 बिलों के संबंध में सीमा की विस्तारित और लंबी अवधि को लागू करके की गई थी कि उत्तरदाताओं ने उत्पाद को गलत तरीके से घोषित किया था।

9. आयुक्त द्वारा यह भी माना गया था कि माल जब्त करने के लिए उत्तरदायी है, लेकिन जितना वह उपलब्ध नहीं था, उसके द्वारा कोई मोचन जुर्माना नहीं लगाया गया था। मैसर्स सांघवी ओवरसीज पर भी इतनी ही राशि का जुर्माना लगाया गया था। दिनांक 08.05.1997 और 19.03.1998 के प्रवेश बिलों द्वारा कवर किए गए सामान, जो राजस्व द्वारा जब्त किए गए थे, को 6,00,000/- (छह लाख रुपये) के मोचन जुर्माने के भुगतान पर उत्तरदाताओं को भुनाने के विकल्प के साथ जब्त कर लिया गया था। उपर्युक्त दो प्रविष्टियों के बिलों के तहत माल के आयात के संबंध में मैसर्स सांघवी ओवरसीज पर 3,00,000/- रुपये (तीन लाख रुपये) का अतिरिक्त

जुर्माना लगाया गया था। दूसरे प्रतिवादी श्री आर. के. जैन पर 65,00,000/- रुपये (पैंसठ लाख रुपये) का जुर्माना इस निष्कर्ष पर लगाया गया था कि वह आयात के पीछे मुख्य व्यक्ति थे, जिसके कारण भारी मात्रा में सीमा शुल्क की चोरी हुई और वह आयातकों के सलाहकार थे। यह भी देखा गया कि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूत इस मामले में उनकी सक्रिय और वित्तीय भागीदारी को दर्शाते हैं।

10. उपर्युक्त आदेश से व्यथित होकर प्रतिवादियों ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क स्वर्ण (अपीलीय) न्यायाधिकरण, कोलकाता के समक्ष एक अपील दायर की, जिसमें कहा गया कि विचाराधीन बाम को चिपकने वाले पदार्थ के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है और उत्तरदाताओं ने उन्नत लाइसेंस के आधार पर माल की निकासी का सही दावा किया था, जो चिपकने वाले पदार्थ को शुल्क मुक्त करने की अनुमति देता था। यह बताया गया कि राजस्व ने माल की निकासी से पहले नमूने भी लिए और उसके बाद ही उनके द्वारा मंजूरी की अनुमति दी गई। अधिकरण ने दिनांक 17.02.2003 के अपने आदेश द्वारा अपीलों की अनुमति दे दी। उत्तरदाताओं ने कहा कि बाम को चिपकने वाले पदार्थ के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है और उत्तरदाताओं ने उन्नत लाइसेंस के आधार पर माल की निकासी का सही दावा किया था। इसलिए, अपीलकर्ता द्वारा वर्तमान विशेष अनुमति याचिकाएं दायर की गई।

11. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया कि ट्रिब्यूनल ने इस तथ्य को नजरअंदाज करके एक मौलिक त्रुटि की कि बाम को चिपकने वाला बनने के लिए एक और औद्योगिक प्रक्रिया से गुजरना आवश्यक था, और इस प्रकार आयातित वस्तु को किसी भी परिस्थिति में चिपकने वाले पदार्थ के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। तर्क यह है कि आयातित रसायन एक मोनोमर कार्बनिक रसायन है, जो चिपकने वाले पदार्थों के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल में से एक है, इस राय को उद्योग के क्षेत्र के विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा प्रमाणित किया गया है। अपीलकर्ता ने अभिकथित किया कि आयातित सामग्री यानी बाम (बाधित}, एक रंगहीन तरल पदार्थ है, जो पानी की तुलना में हल्का, मोनोमर कार्बनिक रसायन है, जिसका कच्चे माल के रूप में पेंट, कपड़ा और चमड़ा उद्योग में व्यापक उपयोग होता है और किसी भी तरह से प्रसिद्ध ब्रांडों के अन्य प्लॉयरेथेन चिपकने वाले पदार्थों के साथ तुलना नहीं की जा सकती है। इसके अलावा तर्क दिया गया कि ट्रिब्यूनल के समक्ष प्रस्तुत उत्पाद साहित्य में, यह निर्दिष्ट करने वाला हिस्सा कि बाम का उपयोग चिपकने वाले उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में किया गया था, प्रतिवादी आयातकों द्वारा मिटा दिया गया था। उन्होंने उत्तरदाताओं के इस दावे का भी खंडन किया कि मोनोमर रूप में बाम केवल गर्मी और प्रकाश के संपर्क में आने पर स्व-पोलीमराइजेशन से

गुजरता है और इसके विपरीत यह प्रस्तुत किया गया था कि इसके लिए एक विशिष्ट औद्योगिक प्रक्रिया की आवश्यकता होती है।

12. अगला तर्क यह था कि ट्रिब्यूनल इस बात पर भी ध्यान देने में विफल रहा कि पोलीमराइजेशन के बाद प्राप्त एक्रिलेट्स और उत्पादों के बीच मूल्य में अंतर डेढ़ गुना से तीन गुना है, जिसका अर्थ है कि पोलीमराइजेशन में जटिल तकनीकी और औद्योगिक प्रक्रियाएं शामिल हैं। यह तर्क दिया गया है कि उद्योग के साथ-साथ प्रसिद्ध संस्थानों के विभिन्न विशेषज्ञों ने स्पष्ट रूप से राय दी है कि बाम चिपकने वाला नहीं है। यह भी तर्क दिया गया कि आयातित उत्पाद के निर्माता मैसर्स एलजी केमिकल्स लिमिटेड के उत्पाद साहित्य को ध्यान में रखते हुए, जो अपील याचिका का हिस्सा था, से पता चला कि बाम चिपकने वाला कच्चा माल था। यह दावा किया गया था कि बाधित अवस्था में बाम औद्योगिक प्रक्रिया के माध्यम से इमल्शन पोलीमराइजेशन के बाद प्राप्त उत्पाद से काफी अलग है। इस प्रकार जिस रूप में माल आयात किया गया था, उसे चिपकने वाला नहीं कहा जा सकता है।

13. प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए सभी तर्कों का खंडन किया और कथन किया कि बाम का उपयोग चमड़े के उद्योग में चिपकने वाले पदार्थ के रूप में किया जाता है और परिवहन और भंडारण के दौरान इसे इस तरह से रखा जाता है जो इसे स्व-बहुलकीकरण

से प्रतिबंधित करेगा। इस प्रकार यह तथ्य प्रस्तुत किया गया था कि जब रासायनिक बाम पैक किया जाता है, तो माल को भंडारण की स्थिति में रखने के लिए एक अवरोधक का उपयोग किया जाता है और जब कंटेनर खोला जाता है और रसायन कमरे के तापमान पर हवा, प्रकाश और गर्मी के संपर्क में आता है, तो बाम स्वतः पोलीमराइजेशन शुरू कर देता है और चिपकने के गुण प्राप्त कर लेता है। उन्होंने इस तथ्य की ओर भी ध्यान दिलाया कि इस तथ्य के संबंध में कोई विवाद नहीं है कि बाम जब पॉलीमराइज्ड किया जाता है तो वह चिपकने वाला बन जाता है।

14. संक्षेप में विवाद यह है कि क्या बाम को डीईईसी योजना के तहत जारी अग्रिम लाइसेंस के खिलाफ शुल्क मुक्त मंजूरी की अनुमति देने के उद्देश्य से चिपकने वाला कहा जा सकता है। पैक्ड हालत में सामान किसी काम का नहीं है। इसका उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब इसे खोला जाता है और उपयोग में लाया जाता है। इसलिए, हमें इस बात पर विचार करना है कि क्या सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए बाम एक चिपकने वाला है। कारण बताओ में यह स्वीकार किया गया है कि चमड़ा उद्योग में बाम का अंतिम उपयोग चिपकने वाला है। हालांकि, वर्तमान मामले में एक अंतर बनाने की कोशिश की जा रही है कि जब तक मोनोमर बहुलक नहीं बन जाता है, तब तक यह चिपकने वाला नहीं होता है। यह आरोप लगाया जाता है कि मोनोमर रूप में, बाम चिपकने वाला

नहीं है। इस तरह की व्याख्या करके, अपीलकर्ता द्वारा बाम को चिपकने वाले पदार्थ के कवरेज से वंचित करने का प्रयास किया गया है। मुद्दा यह है कि क्या कंटेनर को खोलने की आवश्यकता, बाम को हवा, प्रकाश और गर्मी के साथ संपर्क करने की अनुमति देने और यहां तक कि उत्प्रेरक लगाने की आवश्यकता इसके चिपकने वाले होने से अलग हो सकती है।

15. निसंदेह अभिव्यक्ति, 'चिपकने वाला' शब्द अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है। अब यह अच्छी तरह से स्पष्ट हो गया है कि शब्दों और अभिव्यक्तियों को, जब तक कि क़ानून में परिभाषित नहीं किया गया है, तब उसे उसी अर्थ में समझा जाना चाहिए जिसमें उनके साथ काम करने वाले व्यक्ति, जैसे व्यापार और समझ और उपयोग के अनुसार समझते हैं।

16. एक्स-बॉन्ड बी/ई में 'चिपकने वाला शब्द का उल्लेख किया गया था क्योंकि अपीलकर्ता ने चिपकने वाले पदार्थ को शुल्क मुक्त आयात के रूप में अनुमति देने वाले अग्रिम लाइसेंस के तहत माल जारी करने की मांग की थी। कस्टम हाउस में माल का रासायनिक परीक्षण किया गया और उचित अधिकारी की संतुष्टि के बाद माल को मंजूरी दे दी गई कि बाम एक चिपकने वाला पदार्थ है। विभाग इस बात को लेकर बहुत सचेत था कि माल को चिपकने वाला होने का दावा किया गया था और वे इस संबंध में किए गए माल की जांच और विचार-विमर्श के बाद बहुत संतुष्ट थे।

इसलिए, कारण बताओ नोटिस के पैरा 4 में उल्लिखित 14 खेपों को सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 203/92-सीयूएस या 79/95-सीयूएस के तहत अग्रिम लाइसेंस के आधार पर मंजूरी दी गई थी। सीमा शुल्क अधिकारियों ने सचेत होकर और अच्छी तरह से यह जानते हुए सामान को मंजूरी दे दी कि बाम एक चिपकने वाला पदार्थ है। सीमा शुल्क अधिकारियों के समक्ष किसी भी तथ्य को दबाने का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि कोई तथ्य छिपाया नहीं गया था। प्रत्येक खेप का परीक्षण और रासायनिक रूप से जांच की गई थी।

17. इसलिए, प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित वकील ने हमारे समक्ष तथ्य प्रस्तुत किया कि कारण बताओ नोटिस में सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा लगाए गए आरोपों को दो बिंदुओं पर कायम रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। पहला, आयातित माल लाइसेंस द्वारा बहुत अधिक कवर किया गया था और दूसरा, यह मानते हुए कि माल लाइसेंस के तहत कवर नहीं किया गया था, फिर भी सीमा शुल्क अधिकारी अपना दृष्टिकोण नहीं बदल सकते क्योंकि लाइसेंस के डेबिट होने के बाद, स्थिति अपरिवर्तनीय हो जाती है। लाइसेंस को उसकी मूल स्थिति में बहाल नहीं किया जा सकता। सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 47 के तहत की गई मंजूरी के वैध आदेश को अपरिवर्तनीय स्थिति के कारण उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। बाम को चिपकाने वाले पदार्थ के रूप में मंजूरी के लिए

अग्रिम लाइसेंस की स्वीकृति पूर्ण है और इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि लाइसेंस सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा डेबिट किए गए हैं। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर पहले से किए गए मूल्यांकन आदेशों को हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। उक्त महत्वपूर्ण कारक और क्षेत्र को विचाराधीन मुद्दे पर निर्णय लेते समय ध्यान में रखा जाना आवश्यक है।

18. कुछ निर्विवाद तस्वीर यह उभरती है कि आयातित रसायन अपने मोनोमर रूप में है और स्वयं बहुलकीकरण पर चिपकने वाला बन जाता है। उत्तरदाताओं का मामला यह है कि स्वयं -बहुलकीकरण, जो आणविक भार में वृद्धि के अलावा कुछ भी नहीं है, कंटेनर से निकलने वाले रसायन पर होता है। सवाल यह है कि क्या इसके मोनोमर रूप में समाधान को चिपकने वाला माना जा सकता है या नहीं। उत्तरदाताओं के अनुसार उत्पाद को उसके पॉलीमराइज्ड रूप में आयात करना व्यावहारिक और व्यवहार्य नहीं है और इसे हमेशा इसके मोनोमर रूप में संग्रहीत किया जाता है। वास्तव में भंडारण के दौरान उत्पाद के स्वय-बहुलककरण से बचने के लिए अवरोधक जोड़े जाते हैं। यह दोनों पक्षों का मामला है कि प्रकृति के संपर्क में आने पर मोनोमर रूप चिपकने वाले पदार्थ के रूप में उपयोग किए जाने वाले रसायन का बहुलक रूप बन जाता है। यह केवल इतना है कि कुछ मामलों में जहां बडे पैमाने पर बहुलकीकरण की

आवश्यकता होती है, पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त गर्मी यानी प्रकृति द्वारा प्रदान की गई गर्मी से अधिक की आवश्यकता होती है, जैसा कि राजस्व द्वारा रिकॉर्ड पर लाए गए विशेषज्ञों की राय में बताया गया है। इस प्रकार ट्रिब्यूनल का विचार था कि ब्यूटाइल एक्रिलेट मोनोमर, जो वायुमंडल के संपर्क में आने पर स्व-बहुलककरण से गुजरता है, को सुरक्षित रूप से एक चिपकने वाला पदार्थ माना जा सकता है और विभिन्न अग्रिम लाइसेंसों द्वारा कवर किया जा सकता है।

19. यह भी ध्यान दिया गया है कि निर्माता द्वारा दिए गए तकनीकी साहित्य में, उत्पाद का उपयोग चिपकने वाले पदार्थ के रूप में दिखाया गया है। भले ही राजस्व ने इस बात पर विवाद किया है कि उत्तरदाताओं द्वारा प्रस्तुत उक्त साहित्य सही नहीं है और इसमें हेरफेर किया गया है क्योंकि यह भारत में समान उत्पाद के निर्माता से अलग है, हालांकि, राजस्व द्वारा इस आशय का कोई ठोस सबूत नहीं दिया गया है। ट्रिब्यूनल ने निष्कर्ष दिया है कि उत्तरदाताओं द्वारा प्रस्तुत साहित्य कोरियाई निर्माता का है और अंग्रेजी भाषा के साथ-साथ कोरियाई भाषा में दिया गया है और उक्त साहित्य की सत्यता पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। हालांकि, जैसा कि निर्माताओं ने स्वयं ब्यूटाइल एक्रिलेट के उपयोग को चिपकने वाले के साथ-साथ कपड़ा बाइंडर्स के रूप में दिखाया है, इसलिए हमें अलग दृष्टिकोण अपनाने का कोई कारण नहीं दिखता हैं।

20. डीईईसी योजना के तहत चिपकने वाले शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। छूट अधिसूचना के अंतर्गत सामग्री शब्द को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है-

(क) ‘‘निर्यात उत्पादों के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चा माल, घटक, मध्यवर्ती, उपभोग्य वस्तुएं, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर और हिस्से

इसलिए अनुमत सामग्री न केवल कच्चा माल हैं, बल्कि ऐसे कच्चे माल के लिए मध्यवर्ती भी हैं, जो लाइसेंसों में विनिदष्ट निर्यात उत्पादों के निर्माण के लिए आवश्यक हैं, जो इस मामले में चमड़ा उद्योग उत्पाद हैं। निर्यात उत्पादों के निर्माण के लिए आवश्यक 'सामग्री के रूप में उपयोग किए जाने वाले शब्द में ऐसी संस्थाएं भी शामिल होंगी जो न केवल विनिर्माण प्रक्रियाओं में प्रत्यक्ष रूप से उपयोग या उपयोग करने योग्य हैं, बल्कि जिनका उपयोग समान प्रसंस्करण के साथ भी किया जा सकता है।

21. जॉन विली एंड संस द्वारा प्रकाशित इनसाइक्लोपीडिया ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी के चौथे संस्करण से, यह एक्रिलेट एस्टर के लिए पाया गया है जैसा कि वर्तमान मामले में यह निर्धारित करता है -

> ‘‘इमल्शन पोलीमराइजेशनः ऐक्रेलिक पॉलिमर तैयार करने के लिए इमल्शन पोलीमराइजेशन सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक तरीका है। ऐक्रेलिक पॉलिमर की संख्या। ऐक्रेलिक एस्टर के इमल्शन पोलीमराइजेशन द्वारा बनाए गए जलीय फैलाव

पॉलिमर के प्रमुख बाजार प्रिंट, पेपर, चिपकने वाला, कपड़ा, फर्श पॉलिश और चमड़े के उद्योग हैं, जहां उनका उपयोग मुख्य रूप से कोटिंग्स या बाइंडर के रूप में किया जाता है। मिथाइल मेथैक्रिलेट के साथ एथिल एक्रिलेट या ब्यूटाइल एक्रिलेट के कॉपोलिमर सबसे आम हैं। (खंड 1, पृष्ठ 328)''

इस आधिकारिक पुस्तक से, यह स्पष्ट है और निष्कर्ष निकाला जा सकता है, कि बाम, जो एक एक्रिलेट एस्टर है, को' '
तैयार करने के लिए पानी का उपयोग करके पॉलीमराइज्ड किया जा सकता है जिसका उपयोग 'चमड़ा उद्योग' में 'कोटिंग या बाइंडर' के रूप में किया जाता है। इस इमल्शन की जलीय तैयारी के लिए प्रौद्योगिकी के किसी भी विस्तृत उपयोग की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसा कोई कारण नहीं है कि जलीय फैलाव पर, भले ही 2916.12 के तहत वर्गीकृत किया गया हो, बाम को 'चमड़ा उद्योग' में बाइंडर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, प्रौद्योगिकी पर इस आधिकारिक विश्वकोश के अनुसार, इसे चिपकने वाला पदार्थ मानने के लाभ से वंचित किया जाना चाहिए।

22. अपीलकर्ता ने सीईजीएटी, मुंबई द्वारा पारित निर्णय पायनियर एम्ब्रॉयडरीज लिमिटेड बनाम सीमा शुल्क आयुक्त, मुंबई 2004 (178) ईएलटी 933 (ट्राई) के मामले पर भरोसा किया है। हमने उक्त निर्णय का

अध्ययन किया है, हालांकि, यह निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों और विधि दोनों पर लागू नहीं होता है।

23. जब यह पाया जाता है कि उत्पादित लाइसेंस प्रतिवादी को पूर्व बोंड माल को शुल्क मुक्त करने का अधिकार देते हैं, तो उनके लिए मूल्यों को गलत तरीके से घोषित करने का कोई कारण नहीं है क्योंकि माल शुल्क मुक्त हैं। ऐसा करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं दिखाई देता है। ऐसा कोई आरोप नहीं है कि घोषित मूल्यों के कथित लोडिंग के बाद भी उत्पादित लाइसेंस मूल्यों की मात्रा को कवर नहीं करेंगे। इसलिए, यह न्यायालय ट्रिब्यूनल के फैसले को यथावत रखती है।

24. यह भी गौर किया गया है कि मांग परिसीमा से वर्जित होकर प्रभावित है क्योंकि अपीलकर्ता ने प्रविष्टियों के बिलों में इसकी घोषणा करने और उसी का सही वर्गीकरण देने के बाद संबंधित माल को मंजूरी दे दी थी। अधिसूचना का लाभ उठाना, जिस पर राजस्व ने बाद में एक राय बनाई थी, उपलब्ध नहीं थी, गलत घोषणा या गलत बयानी आदि का आरोप नहीं लगाया जा सकता है और यहां तक कि अगर किसी आयातक ने छूट के अपने लाभ का गलत दावा किया है, तो यह विभाग पर निर्भर करता है कि वह सही कानूनी स्थिति का पता लगाए और उसे अनुमति दे या अस्वीकार करे। इस मामले में अपीलकर्ता ने सामान को सही वर्गीकरण के साथ ब्यूटाइल एक्रिलेट मोनोमर के रूप में घोषित किया था, और

अपीलकर्ता की समझ के अनुसार एक्स-बॉन्ड बिल में 'चिपकने वाला शब्द जोड़ा गया था कि बाम एक चिपकने वाला पदार्थ है। इन परिस्थितियों में राजस्व के लिए यह जांचना आवश्यक था कि क्या बाम को चिपकने वाली अभिव्यक्ति में कवर किया गया था या नहीं और यदि नमूने लेने के बाद भी उन्होंने उसे चिपकने वाले पदार्थ के रूप में प्रभावी होने की अनुमति दी है तो अपीलकर्ता को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है और बाद में, यदि राजस्व ने बाम के चिपकने वाले चरित्र के संबंध में अपनी राय बदल दी है, तो उनके खिलाफ विस्तारित अवधि लागू नहीं की जा सकती है। इस प्रकार हमारा विचार है कि 14 खेपों के संबंध में शुल्क की मांग भी परिसीमा से वर्जित है।

25. अतः, वर्तमान अपीलें बिना किसी खर्चे के आदेश के खारिज की जाती है।

अपीलें खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी- धनपत माली **(**आर.जे.एस.**)** द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।